



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक 22.06.2026

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 433/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस-2023 में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 02.12.25 को थाना खेकड़ा पर अन्तर्गत धारा 173(4) बीएनएसएस आवेदक प्रवीण द्विवेदी आयु 29 वर्ष पुत्र रामस्वरूप द्विवेदी निवासी पट्टी अहीरान निकट छोटा जैन मन्दिर कस्बा खेकड़ा थाना खेकड़ा जनपद बागपत की एक तहरीर बाबत अभियुक्तगण बनाम मिन्टू कुमार सहित 06 नामजद अभियुक्तों द्वारा एक साज करके फर्जी व कूटरचित कागजात तैयार कर धोखाधडी करके वादी के प्लाट पर लॉन ले लिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 433/25



धारा 318(4),338,336(3),340(2) बीएनएस – 2023 पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाना खेकड़ा के मु0अ0सं0 433/25 धारा 318(4),338,336(3), 340(2) बीएनएस – 2023 में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया । थाना खेकड़ा पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

मिन्टू पुत्र रामचन्दर निवासी कुरालसी थाना बुढाना जिला मुजफ्फरनगर हाल पता मदरसे वाली गली आइसक्रिम फैक्ट्री कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत उम्र करीब 38 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-व0उ0नि0 श्री सागर सिंह थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा ।
- 3-रि0का0 417 अंकित यादव थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बिनौली

दिनांक- 22.06.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 179/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.06.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री सतवीर पुत्र स्व० महावीर निवासी ग्राम बिजवाड़ा, थाना बिनौली, जनपद बागपत द्वारा एक लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त विक्रांत पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिजवाड़ा, थाना बिनौली, जनपद बागपत एवं वादी के पुत्र राजीव उर्फ काला की पत्नी द्वारा वादी के पुत्र राजीव उर्फ काला को जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से झुलसकर घायल हो गया। इसका विरोध करने पर अभियुक्त विक्रांत द्वारा गोली मारकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 179/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया है।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 179/26 धारा 109(1)/351(3) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त विक्रान्त व वादी के पुत्र राजीव उर्फ काला की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विक्रान्त पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-एक महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जनपद बागपत
2. का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत
3. म0रि0आर0 611 प्रिंसी थाना बिनौली जनपद बागपत



**प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत**

दिनांक 22.06.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पेन व 680 रूपये नगद बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस चैकिंग के दौरान सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टे की खाईबाडी करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 01 सट्टा पर्चा, 01 पेन व 680 रूपये नगद बरामद हुये हैं ।



उक्त बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत

पर मु0अ0स0 425/26 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम

संजय पुत्र धर्मवीर निवासी बावली रोड मलजी गढी थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- 01 सट्टा पर्चा, 01 पेन
- 680 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- म0उ0नि0 नीतू सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 691 अमित नागर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3- का0 420 राशिद खान थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4- का0 846 नरेन्द्र थाना बडौत जनपद बागपत।

